राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रं./एन.एच.एम./ शिशु स्वास्थ्य– पोषण/2016/ 12304 **भोपाल, दिनांक 09/12/2016**

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

विषयः–वर्ष 2016–17 में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

संदर्भः–राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्र. Z-28020/237/2013-CH II, दिनांक 21/10/2016

****

विषयांतर्गत लेख है कि बच्चों में कृमि संक्रमण व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा संक्रमत दूषित मिट्टी के सम्पर्क से संभावित होता है। कृमि संक्रमण से बच्चों की जहां एक ओर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होता है वही दूसरी ओर उनके पोषण स्तर एवं हिमोग्लाबिन स्तर पर भी दुष्प्रभाव पडता है। **भारत शासन के निर्देशानुसार राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशो में एक साथ वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का आयोजन दिनांक 10 फरवरी 2017 एवं मॉप–अप दिवस का आयोजन दिनांक 15 फरवरी 2017 को किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी शालाओं, प्रायवेट शालाओं, केन्द्रीय शालाओ, आंगनवाडी केन्द्रो के माध्यम से 1 से 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाना हैं।** राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारी पूर्व की तरह निपि नोडल अधिकारी होंगे। आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :–

- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के लिये आवश्यक एल्बेंडाजोल चबाने वाली गोली (400mg) के विकेन्द्रीयकृत प्रणाली से क्रय किये जाने हेतु सदर्भित पत्र/एन.एच.एम./NIPI/2016/10106 दिनांक 06/10/2016 द्वारा निर्देशित किया गया है।
- **एल्बेंडाजोल चबाने वाली गोली (400mg) की मैदानी उपलब्धता एवं वितरण स्कूल एवं आंगनवाडी की आवश्यकतानुसार दिनांक 30 जनवरी 2017 तक विकासखण्ड प्रशिक्षण में एन.डी.डी. किट के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।**
- वर्ष 2016–17 के राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन में शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के साथ–साथ 51 जिलों के समस्त निजी (पंजीकृत) विद्यालयों एवं समस्त केन्द्रीय विद्यालयों को भी सम्मिलित किया गया है जिस हेतु जिला स्तरीय शिक्षा विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त करना तथा कार्ययोजना तैयार की जाये जिससे कि अधिक से अधिक की कवरेज प्राप्त हो सके।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन में आदिवासी बाहुल्य, वनग्राम, दुर्लभ/कठिन/पहुंच विहीन क्षेत्रों, घुम्मकड़ प्रजाति के समस्त बच्चों को दवा खिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय किया जाए।
- वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम के कवरेज विश्लेषण DISE डाटा एवं ICDS आधारित शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाऐं, आदिवासी शालाओं, प्रायवेट शालाओं, केन्द्रीय शालाओं, आंगनवाडी केन्द्रों में पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत 1 से 19 वर्षीय बच्चों को स्थाई डिनामिनेटर के रूप में निर्धारित किया गया है।
- एल्बेंडाजोल चबाने वाली गोली (400mg) राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली चूरा करके तथा 2 से 19 वर्षीय सभी बच्चों को पूरी गोली चबाकर खिलाई जाना है।

एल्बेंडाजोल की सप्लाई एवं परीक्षण

- एल्बेंडाजोल गोलियों का वितरण एवं उपयोग FIFO (First In First Out) एवं FEFO (First Expired First Out) पद्धति का पालन कर सुनिश्चित की जाए।
- एल्बेंडाजोल चबाने वाली गोली (400mg) का प्रदायकर्ता इकाई द्वारा प्रदायगी उपरांत निर्धारित प्रक्रिया में परीक्षण कराया जाए।
- एल–1 सप्लायर द्वारा 10X10 की स्ट्रीप्स आवश्यकता के अनुरूप प्रदाय की जायेगी। जिलेवार शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाऐं, आदिवासी शालाओं, प्रायवेट शालाओं, केन्द्रीय शालाओं, एवं आंगनवाडी केन्द्रों में कुल इंद्राज बच्चों की संख्या के मान से एल्बेंडाजोल गोलियों की अनुमानित आवश्यकता (10 प्रतिशत वेस्टेज के साथ) को दृष्टिगत रखते हुए "ड्रग बंडलिंग प्लान" तैयार किया गया है। **अनुलग्न–अ पर सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।**

ड्यू लिस्ट तैयार करना

- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस हेतु आशा द्वारा लक्षित हितग्राहियों अर्थात 1 से 19 वर्ष के बच्चों की सूची दिनांक 5 फरवरी 2017 तक तैयार की जाए।

आई.ई.सी एवं प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण (प्रिंटिंग) एवं वितरण

- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस 2017 हेतु शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाऐं, आदिवासी शालाओं, प्रायवेट शालाओं, केन्द्रीय शालाओ, एवं आंगनवाडी केन्द्रों की संख्याओं के आधार पर फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर्स, आशा हेतु पैम्पलेटस एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र का मुद्रण किया जाए। **प्रारूप एवं "बंडलिंग प्लान" पत्र के साथ संलग्न (अनुलग्नक–ब) है।**
- शिक्षक एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र सह हेण्डआउट का मुद्रण राज्य स्तर से मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा मुद्रित कर संभाग स्तर पर दिनांक 30 दिसम्बर 2016 तक उपलब्ध कराई जायेगी। तद्‌नुसार जिलो द्वारा शालाओं एवं आंगनवाडी केन्द्रो की संख्या के मान से बंडलिंग कर उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण के दौरान वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- बैनर, पोस्टर्स, आशा हेतु पैम्पलेटस एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र का मुद्रण जिला स्तरीय स्कूल एवं आंगनवाडी केन्द्रो के मान से किया जाए।
- जिला स्तर पर बैनर, पोस्टर्स, आशा पैम्पलेटस एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र के मुद्रण की बुकिंग FMR कोड़ क्र. B.10.7.4.1 में सुनिश्चित की जाए।

रिपोर्टिंग

- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस 2017 में कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हेतु भारत सरकार द्वारा एन.डी.डी. मोबाईल–एप/ वेब–पेज जारी किया गया हैं जिसके द्वारा कागजी रिपोर्टिंग के साथ–साथ एप या वेब के माध्यम से भी डेटा प्रविष्टि विकासखण्ड स्तर पर की जाना है।
- मोबाईल–एप/वेब–पेज में डेटा प्रविष्टी हेतु विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड 31 दिसंबर तक प्रदान किये जायेगे।
- जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण के दौरान रिपोर्टिंग एवं मोबाईल–एप/वेब–पेज में डेटा प्रविष्टी के संबंध में जानकारी दी जाए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डी. किरण गोपाल)
मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र
भोपाल, दिनांक 09/12/2016

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम/शिशु स्वास्थ पोषण/2016/ 12305
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, वित्त, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
8. संचालक, आई.ई.सी., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. संचालक, औषधि प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. उपसंचालक, टीकाकरण/आशा/शहरी स्वास्थ्य, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
11. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल।
12. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एविडेंस एक्शन डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव,की ओर लेख है कि अपने अधीनस्थ समन्यवयको को जिलों में सहयोग हेतु निर्देशित करें मध्यप्रदेश।
13. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई., मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
15. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
16. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र